- 1 -

classmate
Date
Page

Page: 1 of 3

DATE: 18/08/2020

CLASS: B.A.(H) PART-2ND

SUBJECT: POLITICAL SCIENCE

PAPER: III (INDIAN GOVERNMENT & POLITICS)

CH: 07 (UNION EXECUTIVE: COUNCIL OF MINISTERS AND THE PRIME MINISTER)

LECTURE NO. 39 (THIRTY NINE)

By,
OM KUMAR SINGH
ASSISTANT PROFESSOR
DEPTT. OF POLITICAL SCIENCE
D.B. COLLEGE, JAYNAGAR
LNMU, DARBHANGA

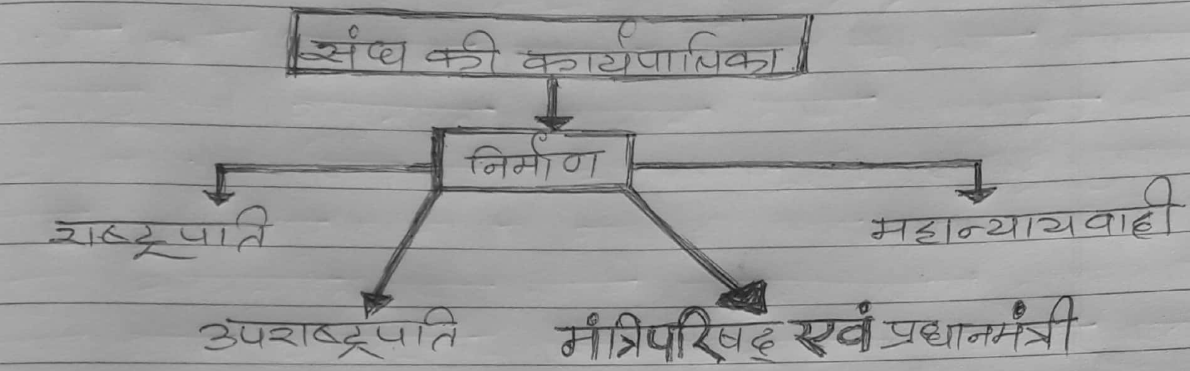

केंद्रीय मंत्रिपरिषद् –

भारतीय संविधान के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होता है और मंत्रिपरिषद् कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान।

भारतीय लोकतंत्र में संसदीय शासन व्यवस्था का प्रावधान है, जो ब्रिटेन की शासन व्यवस्था से प्रभावित है।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74(1) में उल्लेख है कि "राष्ट्रपति को उसके कार्यों के सम्पादन में सहायता एवं परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद् होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा।"

Scanned with CamScanner

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में एक प्रधानमंत्री तथा विभिन्न श्रेणियों के मंत्री होते हैं। मूल संविधान में मंत्रियों की संख्या निश्चित नहीं की गई थी, परन्तु 91 वें संविधान संशोधन, 2003 के आधार पर व्यवस्था की गई कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 %.(प्रतिशत) से अधिक नहीं हो सकती। यह प्रावधान अनुच्छेद 75(1क) के माध्यम से किया गया।

अनुच्छेद 75 में मंत्रिपरिषद की रचना से सम्बंधित तथ्यों का उल्लेख किया गया है, जो इस प्रकार है —

(i) प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा।

(ii) मंत्रिगण राष्ट्रपति के प्रसाद-पर्यन्त अपने पद पर बने रहेंगे। अर्थात व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होंगे।

(iii) मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी।

(iv) प्रत्येक मंत्री को अपने पद धारण के पूर्व राष्ट्रपति के समक्ष अपने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होगी।

(v) ~~बिना~~ संसद के किसी सदन के सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति यदि मंत्री पद की शपथ लेता है, तो उसे छह माह के अन्दर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है अन्यथा उसे मंत्रिपरिषद से त्याग-पत्र देना होगा।

Scanned with CamScanner

(vi) मंत्रियों को वे सब वेतन और भत्ते प्राप्त होंगे, जो समय-समय पर संसद विधि द्वारा निर्धारित करें।

मंत्रिपरिषद की रचना हेतु वर्णित ये कुछ औपचारिक प्रावधान किए गए हैं। व्यवहार में मंत्रिपरिषद का गठन एक बहुत अधिक कठिन तथा जटिल प्रक्रिया है जिसमें अनेक बातों को ध्यान में रखना होता है। मंत्रियों को चुनते समय शासक दल में विभिन्न सदस्यों की स्थिति, राष्ट्र के विभिन्न ~~सद~~ समुदायों तथा भौगोलिक क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व, संसद के दोनों सदनों को उचित प्रतिनिधित्व व विभिन्न अवस्था वाले और विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व प्रदान करने पर विचार करना होता है।

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में तीन तरह के मंत्री होते हैं —

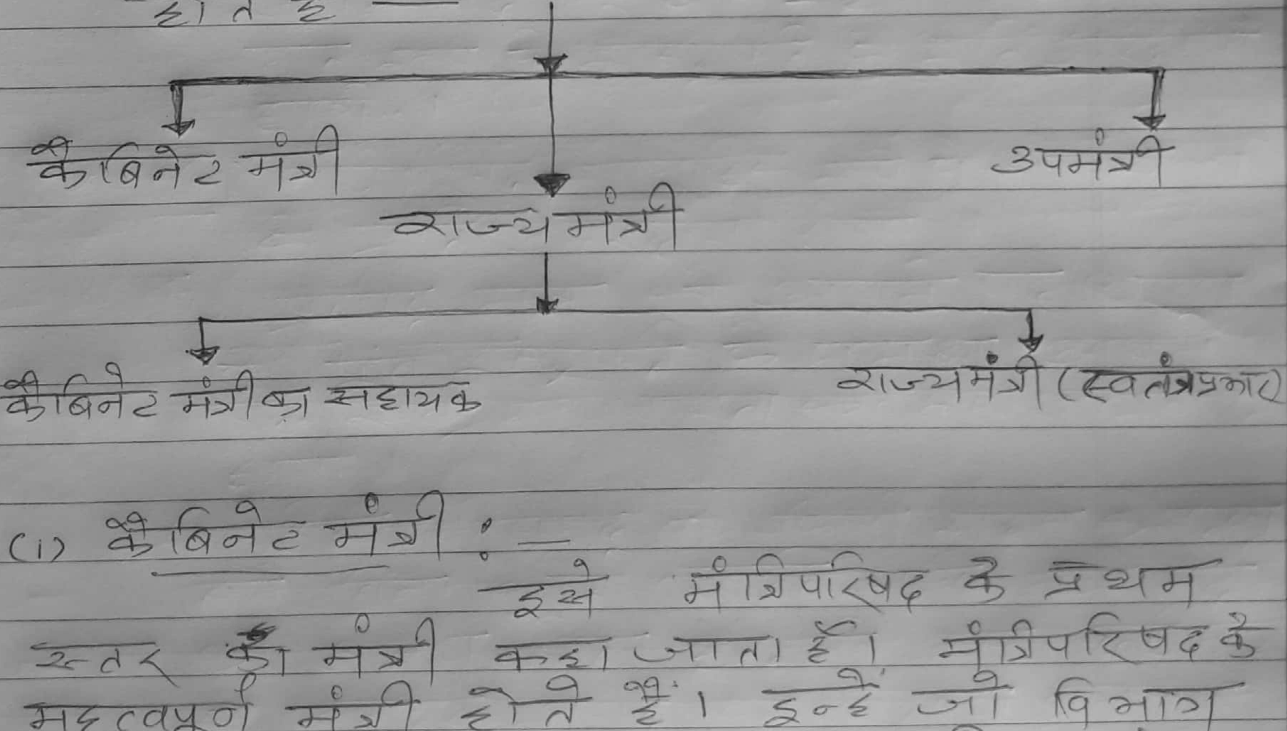

(i) कैबिनेट मंत्री :— इसे मंत्रिपरिषद के प्रथम स्तर का मंत्री कहा जाता है। मंत्रिपरिषद के महत्वपूर्ण मंत्री होते हैं। इन्हें जो विभाग सौंपा जाता है, उसका प्रमुख होता है। कैबिनेट मंत्रियों के पास महत्वपूर्ण मंत्रालय जैसे-

गृह, रक्षा, वित्त, विदेश आदि मंत्रालय होते हैं। मंत्रिमंडल की बैठकों में कैबिनेट मंत्री ही भाग लेते हैं।

(ii) राज्य मंत्री —

इसके अन्तर्गत दो प्रकार के मंत्री आते हैं। एक वैसे मंत्री होते हैं, जिन्हें मंत्रालय या विभागों का स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है। ऐसे मंत्री राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) कहलाते हैं। दूसरे वे मंत्री होते हैं, जिन्हें किसी मंत्रालय से सम्बंधित कोई विशेष कार्य सौंपा जाता है अर्थात् 'कैबिनेट मंत्री के सहयोगी' के रूप में कार्य करते हैं।

सामान्यतः राज्यमंत्री कैबिनेट की बैठकों में भाग नहीं लेते हैं। इन्हें प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रिमंडल की उन बैठकों में आमंत्रित किया जा सकता है, जबकि उनके विभाग से सम्बंधित प्रश्न मंत्रिमंडल के विचाराधीन होते हैं।

(iii) उपमंत्री —

ये तीसरे स्तर के मंत्री होते हैं, जो वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता करते हैं।

वर्णित तीन तरह के मंत्रियों के अलावा एक और तरह के मंत्री होते हैं, जिन्हें संसदीय सचिव कहा जाता है। ये विभिन्न मंत्रियों ~~की~~ प्रशासनिक कार्यों सहित अन्य कार्यों में सहायता करते हैं, इसलिए इनका दर्जा लगभग मंत्रियों के समान है, हालाँकि इन्हें सैद्धांतिक रूप में मंत्रिपरिषद् के समूह में नहीं रखा जाता है।

किचन कैबिनेट (आंतरिक कैबिनेट):—

इसके अन्तर्गत 15-20

classmate
Date
Page

महत्वपूर्ण मंत्रियों को शामिल किया जाता है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। यह किचन कैबिनेट औपचारिक रूप से निर्णय लेने वाली सत्ता का केंद्र-बिंदु होती है। इसमें कैबिनेट मंत्री के अलावा प्रधानमंत्री के विश्वसनीय सदस्य, मित्र या पारिवारिक सदस्य भी हो सकते हैं।

x———x———x———x———x

संभावित प्रश्न :

केन्द्रीय मंत्रिपरिषद के गठन एवं संरचना का वर्णन कीजिए।